बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः 6/ग्रा0ज0–1–101/2015–1777 पटना, दिनांकः–08/07/15

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषयः "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत वर्ष 2015–16 के लिये बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत औसतन पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण हेतु कुल 55228 चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु कुल ₹26235.709 लाख (दो सौ बासठ करोड़ पैंतीस लाख सत्तर हजार नौ सौ रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेशः "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत वर्ष 2015–16 के लिये बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत औसतन पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण हेतु कुल 55228 चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु कुल ₹26235.709 लाख (दो सौ बासठ करोड़ पैंतीस लाख सत्तर हजार नौ सौ रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना की जिलावार विवरणी परिशिष्ट– I एवं II पर संलग्न है। इस योजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

2. इस योजना के तहत चापाकलों का निर्माण बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर चयनित स्थल पर विभाग द्वारा किया जायेगा। इस योजना के तहत चापाकलों का निर्माण अनाच्छादित, आंशिक रूप से आच्छादित टोलों/बसावटों के सार्वजनिक स्थलों में किया जायेगा तथा इनमें महादलित, दलित, अति पिछड़े तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बसावटों/मुहल्लों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित योजना में प्रावधानित चापाकलों का प्रकार स्थूल रूप से है एवं स्थानीय भू–गर्भीय संरचना के आलोक मे चापाकलों के प्रकार मे परिर्वतन हो सकता है।

3. विधान परिषद के उन निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र राज्य के कई जिलों में विस्तारित होगा वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिलों की जनसंख्या के अनुसार लक्ष्य वितरित कर स्थल की अनुशंसा करेंगे। वैसे विधान परिषद सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है, वे राज्य के किसी एक जिला को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चयनित करेंगे। यदि माननीय विधान परिषद सदस्य के द्वारा जिला का चयन नहीं किया जा सकेगा तो

वैसी स्थिति में उस जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित माना जायेगा, जिस जिला के मतदाता सूची में उनका नाम होगा। माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद के द्वारा की गई अनुशंसा (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को मिलाकर) अधिकतम 100 तक ही सीमित रहेगी।

4. बजट शीर्ष

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकलों के निर्माण पर होनेवाला व्यय राज्य वार्षिक योजना में प्रावधानित निम्नलिखित बजट शीर्षों में भारितव्य होगा।

(i) मुख्य शीर्ष–4215–जलपूर्ति तथा सफाई एवं पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष 102– ग्रामीण जल पूर्ति, माँग संख्या–36, उप शीर्ष 0103–ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा), विपत्र कोड P4215011020103, राज्य योजना स्कीम कोड–PUB–5352, विषय शीर्ष – 53 01 मुख्य निर्माण कार्य।

(ii) मुख्य शीर्ष– 4215–जलपूर्ति तथा सफाई एवं पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–36, उप शीर्ष 0111–ग्रामीण जलापूर्ति योजना–(टयूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा), विपत्र कोड P4215017890111, राज्य योजना स्कीम कोड–PUB–5352, विषय शीर्ष – 53 01 मुख्य निर्माण कार्य।

(iii) मुख्य शीर्ष– 4215–जलपूर्ति तथा सफाई एवं पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–36, उप शीर्ष 0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना– (टयूबवेल्स, कूप, नलकूप), विपत्र कोड P4215017960107, राज्य योजना स्कीम कोड–PUB–5352, विषय शीर्ष – 53 01 मुख्य निर्माण कार्य।

(ख) शहरी क्षेत्रों में चापाकलों के निर्माण पर होनेवाला व्यय राज्य वार्षिक योजना में प्रावधानित निम्नलिखित बजट शीर्ष में भारितव्य होगा।

(i) मुख्य शीर्ष–4215–जलपूर्ति तथा सफाई एवं पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 02–मल–जल तथा सफाई, लघु शीर्ष 106– मल–जल सेवाएं, माँग संख्या–36, उप शीर्ष 0104–शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड P4215021060104, राज्य योजना स्कीम कोड–PUB–5362, विषय शीर्ष – 53 01 मुख्य निर्माण कार्य।

5. इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में 40.00 करोड़ रूपया तक का व्यय सीमित रहेगा।

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार से की जायेगी। बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर चापाकलों के निर्माण हेतु राशि की निकासी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पश्चिम के द्वारा की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि निदेशानुसार अन्य प्रमण्डलों को उपलब्ध करायेंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

7. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

9. इस योजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

10. योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या– एम4–45/94–पार्ट–II–3828 वि0 (2), दिनांक– 12.06.2006 के आलोक में दिनांक– 28.05.2015 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक एवं दिनांक– 09.06.2015 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. 2015–16 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं योजना बजट में इसके लिए प्रावधान है।

12. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0– यथोपरि।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शिशिर सिन्हा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:– 1777

पटना, दिनांक– 08/07/15

प्रतिलिपि:–

1. अनु0 सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु0 सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)/उप निदेशक, (मूल्यांकन/सहायक अभियंता (मो0) (दो प्रतियों में)/ सहायक अभियंता (मू0)/प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–6/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0टी0, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु0 सहित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

   अनु0– यथोपरि।

(शिशिर सिन्हा)

प्रधान सचिव